रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 1970/श्रावण 3, 1892
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 1970/SRAVANA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

## PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

### MINISTRY OF LAW

**(Department of Legal Affairs)**

*New Delhi, the 29th June 1970*

**G.S.R. 1063.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Law No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely:—

In the Schedule to the said Notification in item 8 relating to Madras, the following entry may be added in the Second column against sub-item (a) namely:—

"(ii) Shri K. Aligariswami,
Junior Central Government Standing Counsel,
High Court."

[No. F. 38(2)/69-J.]

## विधि मंत्रालय

## (विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुन, 1970

**सा० का० नि० 1063.**—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412 तारीख 25 नवम्बर, 1960 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद्रास से सम्बन्धित मद 8 में, उप मद (क) के सामने द्वितीय स्तम्भ में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाए, अर्थात् :—

"(ii) श्री के० अलीगरीस्वामी,
केन्द्रीय सरकार का कनिष्ठ स्थायी काउंसिल,
उच्च न्यायालय ।"

[सं० फा० 38(2)/69-न्या०]

*New Delhi, the 1st July 1970*

**G.S.R. 1064.**—In exercise of the powers conferred by rules 2 and 8 and clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby appoints until further orders not later than 31st December 1970 in any case the person named below as Government Pleader on the Original side and the Appellate side of the High Court at Delhi for the purpose of the said Order in relation to any suit and proceedings by or against the Central Government:—

"Shri Jagdish Prasad Gupta"

2. This notification shall be deemed to have come into force on 2nd April, 1970.

[No. F. 24(12)/70-J.]

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1970

**सा० का० नि० 1064.**—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 2 और 8 तथा नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए केन्द्रीय सरकार, ऐसे किसी वाद या कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके

विरुद्ध की गई हों नीचे नामित व्यक्ति को अगर आदेश होने तक और किसी भी दशा में 31-12-1970 के पश्चात् नक उक्त आदेश के प्रयोजन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की ओरीजिनल साइड और अपील साइड में एतद्द्वारा सरकारी प्लीडर के रूप में नियक्त करती है :—

"श्री जगदीश प्रसाद गुप्त "

2. यह अधिसूचना 2 अप्रैल, 1970 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० फा० 24(12)/70-न्या०]

G.S.R. 1065.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960.

In the schedule to the said notification, in item 15 relating to Delhi, against sub-item (a) relating to High Court, in the second column, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:—

(i) Shri O. P. Malhotra, Senior Central Government Counsel.

(ii) Shri Deepak Datta Choudhri, Senior Central Government Counsel.

(iii) Shri Brijbans Kishore, Central Government Counsel.

(iv) Shri Rustom M. Mehta, Government Advocte.

[No. F. 15(1)/69-J.]

A. S. CHOUDHRI, Jt. Secy.

सा० फा० नि० 1065.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नं० 1412 तारीख 25 नवम्बर, 1960 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, दिल्ली से सम्बन्धित मद 15 में, उच्च न्यायालय से सम्बन्धित उप-मद (क) के सामने, द्वितीय स्तम्भ में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(i) श्री ओ० पी० मल्होत्रा,
केन्द्रीय सरकार का ज्येष्ठ काउंसिल ।

(ii) श्री दीपक दत्त चौधरी,
केन्द्रीय सरकार का ज्येष्ठ काउंसिल ।

(iii) श्री ब्रिजबन्स किशोर,
केन्द्रीय सरकार का काउंसिल ।

(iv) श्री रुस्तम एम० महता,
सरकारी अधिवक्ता ।

[सं० फा० 15(1)/69-न्या०]

ए० एस० चौधरी, संयुक्त सचिव ।

---

**(Department of Legal Affairs)**

*New Delhi, the 1st June 1970*

**G.S.R. 1066.**—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) Class II Posts Recruitment Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) Class II posts Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) Class II posts Recruitment Rules, 1965 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely.—

"4. Disqualifications:—

No Person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

3. In the Schedule to the said rules, after the entries relating to the post of Superintendent (Legal), the following entries shall be inserted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superintendent (Legal) in the Personal Section of the Secretary Ministry of Law, Department of Legal Affairs. | One | Genral Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial | Rs. 620—50 830 | Not applicable | Not applicalbe | Not applicable |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Transfer on Deputation. | *Transfer on deputation:*<br>A Grade I Officer, failing which Grade II Officer of the Central Secretariat Stenographers' Service, possessing a degree in Law and having at least seven years experience of work connected with legal Affairs, legal referencing and research.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding three years.) | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations 1958 |

[No. F. 21(3)/69-Adm. I(LA).]

N. D. SINHA, Under Secy.

## (विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून, 1970

सा० का० नि० 1066.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) वर्ग 2 पद भर्ती नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) वर्ग 2 पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएंगे।

2. विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) वर्ग 2 पद भर्ती नियम, 1965 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात:—

"4. निरर्हताएं:—

वह व्यक्ति उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने, पति या पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन, अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है, इस नियम के प्रवर्तन से उस व्यक्ति को छूट दे सकेगी ।"

3. उक्त नियम की अनुसूची में, अधीक्षक (विधिक) के पद से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "विधि मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के सचिव के वैयक्तिक अनुभाग में अधीक्षक (विधिक) | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 राजपत्रित—अलिपिक वर्गीय | 620—30—830 रु० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण | **प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण** केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवा का श्रेणी 1 अधिकारी, जिसके न होने पर श्रेणी 2 अधिकारी जिसके पास विधि की डिग्री हो और जिसे विधिक मामले, विधिक निर्देशन-कार्य और अनु-संधान सम्बन्धी कार्य का कम से कम सात वर्ष का अनभव हो। (प्रतिनियक्ति की कालावधि मामूली तौर से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन, 1958 के अधीन यथाअपेक्षित ।" |

[सं० फा० 21 (3)/69-प्रशा० 1/वि०का०]

एम० डी० सिन्हा, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

### (Department of Company Affairs)

*New Delhi, the 14th July* 1970

**G.S.R. 1067.**—In exercise of the powers conferred by Section 624A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri K. V. L. N. Anjaneya Sastri of the Office of the Registrar of Companies, Tamilnadu, as Company Prosecutor for the conduct of the prosecutions arising out of the said Act in all Courts of the State of Tamilnadu in place of Shri V. Ramakrishnan notified *vide* this Department's Notification No. G.S.R. 2531, dated 18th October 1969 published in the Gazette of India, dated 1st November 1969.

[No. F. 46/31/69-CL-II.]

V. K. VENKATARAMAN, Under Secy.

## औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

### (कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1970

**सा० का० नि० 1067.**—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 624(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार तामिलनाडु के कार्यालय के श्री के० वी० एल० एन० अन्जनैया शास्त्री को, श्री वी० रामाकृष्णन जिनको, इस विभाग की दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारतीय राज-पत्र में प्रकाशित, दिनांक 18 अक्तूबर, 1969 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 2531 के अनुसार अधिसूचित किया गया था, के स्थान पर तामिलनाडु राज्य के सम्पूर्ण न्यायालयों में, कथित अधिनियम से उत्पन्न मुकदमों की पैरवी करने के लिए कम्पनी अभियोजक के पद पर नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 46/31/69–सी० एल० 2]

वी० के० वैन्कटारमन, अवरसचिव ।

## MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

### (Department of Agriculture)

*New Delhi, the 27th June* 1970

**G.S.R. 1068.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Forest Research Institute and Colleges (Class I and Class II Non tenure posts) Recruitment Rules, 1966, namely:—

1. (1) These rules may be called the Forest Research Institute and Colleges (Class I and Class II Non-tenure posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Annexure to the Forest Research Institute and Colleges (Class I and Class II Non-tenure posts) Recruitment Rules, 1966 after Serial No. 35 the following heading and Serial No. shall be inserted, namely:—

*"Central Research Coordination Section*

| | | |
|---|---|---|
| 36 | Research Officer | *Essential*<br>(i) At least Second Class M. Sc. degree in Physics/Mathematics/Statistics.<br>(ii) About 3 years research/practical experience in the subject concerned.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified)' |

[No. 8-17/68-F.]

## खाद्य कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

### (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 1970

**जी० एस० आर० 1068.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति वन अनुसन्धान संस्थान और महाविद्यालय, (वर्ग 1 और वर्ग 2 अनावधिक पद) भर्ती नियम, 1966 और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) ये नियम वन अनुसन्धान संस्थान और महाविद्यालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 अनावधिक पद) भर्ती नियम, 1966 के उपाबन्ध में, क्रम संख्या 35 के पश्चात निम्नलिखित शीर्षक और क्रम संख्या अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

केन्द्रीय अनुसन्धान समन्वय अनुभाग

| | | |
|---|---|---|
| 36 | अनुसन्धान अधिकारी | आवश्यक<br>(1) भौतिकी गणित । सांख्यकी में गणित। सांख्यकी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की एम० एस० सी० डिग्री ।<br>(2) सम्बन्धित विषय में लगभग 3 वर्ष का अनुसन्धान । प्रायोगिक अनुभव ।<br>(अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी ।) |

[सं० 8-17/68-एफ]

*New Delhi, the 14th July 1970*

**G.S.R. 1069.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Forest Research, Institute and Colleges (Class-I and Class-II non-tenure posts) Recruitment Rules, 1966, namely:—

1. (1) These rules may be called the Forest Research Institute and Colleges (Class-I and Class-II non-tenure posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Forest Research Institute and Colleges (Class I and Class II non-tenure posts) Recruitment Rules, 1966, in the entries against Serial Number 31 relating to the post of "Chief Artist",—

(a) in column 9, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"(i) Age—No.

(ii) Qualifications—No";

(b) in column 12, for the figure and word "5 years", the figure and word "8 years" shall be substituted.

[No. 8-1/69-F.]

S. N. TULSIANI, Under Secy.

---

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1970

**सा० का० नि० 1069.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 अनावधिक पद) भर्ती नियम, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1 (1) ये नियम वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 अनावधिक पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 अनावधिक पद) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में, क्रम संख्या 31 के सामने "मुख्य कलाकार" पद से सम्बन्धित प्रविष्टियों में—

(क) स्तम्भ 9 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(अ) आयु—नहीं

(आ) अर्हताएं नहीं";

(ख) स्तम्भ 12 में "5 वर्ष" अंक और शब्द के स्थान पर "8 वर्ष" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[संख्या 8-1/69-एफ०]

एस० एन० सुलस्यानी, अवर सचिव

**(Department of Food)**

*New Delhi, the 10th July 1970*

**G.S.R. 1070.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule annexed to the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, in the entries relating to item 7, in column 7, for the existing entries under the heading "Essential", the following entries shall be substituted, namely:—

"*Essential.*—Degree in Mechanical/Electrical/Chemical/Agricultural Engineering or Food Technology from a recognised University or equivalent".

[No. F. 14-4/69-E.I(A).]

**G.S.R. 1071.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Food (Class I and Class II Non-Secretariat Posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Food (Class I and Class II Non-Secretariat Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Food (Class I and Class II Non-Secretariat Posts) Recruitment Rules, 1963, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5. *Disqualification*:—

No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule".

[No. F. A. 12018/3/70-EI(A).]

*New Delhi, the 13th July 1970*

**G.S.R. 1072.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, for rule 5, the following rule shall be substituted namely:—

"5. *Disqualification*:—

No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

[No. F. A. 12018/3/70-E. I(A).]

NIRANJAN SINGH, Under Secy.

---

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 1970

**जी० एस० आर० 832.**—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 62 तारीख 8 जनवरी, 1959 को एतद्द्वारा विखण्डित करती है ।

[सं० 16-19/68-एम]

सै० म० हु० बर्नी, संयुक्त सचिव ।

---

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

### (Transport Wing)

*New Delhi, the 10th July 1970*

**G.S.R. 1073.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33, and section 34, of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendment to the Notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Shipping (Transport Wing)

No. 19-PG(11)/67-I, dated the 20th January, 1968, which shall take effect upon the expiration of sixty days from the date of the publication of this Notification in the Gazette of India, namely:—

In the said Notification, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(C" A special surcharge at the rate of fifty per cent on the aggregate amounts due and payable shall be levied in respect of all vessels and boats, referred to in clauses (a) and (b) above, except fishing boats, in addition to the surcharge of five per cent or sixty-five per cent, as the case may be".

[No. 8-PG(35)/70.]

M. K. RAMASWAMY, Under Secy.

---

## जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन स्कंध)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1970

**सा० का० नि० 1073.**—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33, की उपधारा (1) और धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय (परिवहन स्कंध) की अधिसूचना सं० 19-पी जी (11)/67-1, तारीख 20 जनवरी, 1968 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के अवसान पर प्रभावी होगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) यथास्थिति, पांच प्रतिशत या पैंसठ प्रतिशत अधिभारों के अतिरिक्त, मत्स्य नौकाओं को छोड़कर ऊपर खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट सभी जलयान और नौकाओं की बाबत शोध्य और संदेय कुल रकमों पर पचास प्रतिशत की दर से एक विशेष अधिभार उद्ग्रहीत किया जाएगा ।

[सं० 8-पीजी (35)/70]

(एम० के० रामास्वामी) अवर सचिव, ।

---

(TRANSPORT WING)

*New Delhi, the 14th July 1970*

**G.S.R. 1074.**—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Shipping Development Fund (Loans) Rules, 1961 published with the notification of the Government of India in the late Ministry of

Transport and Communications (Department of Transport) G.S.R. 494 dated the 27th March, 1961, namely:—

1. These rules may be called the Shipping Development Fund (Loans) Amendment Rules, 1970.

2. In the Shipping Development Fund (Loans) Rules, 1961, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:

"8. *Prior Approval of Government.*—Every decision of the Committee to grant a loan exceeding Rs. 100 lakhs shall be subject to the approval by the Central Government and such approval shall be sought by the Secretary before the decision of the Committee is communicated to the Directorate".

[No. 35-MD(23)/67.]

JASWANT SINGH, Under Secy.

(परिवहन स्कंध)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1970

**सा०का०नि० 1074.**—वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पोत परिवहन विकास निधि (ऋण) नियम, 1961 में जो भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन और संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) की अधिसूचना सा०का०नि० 494 तारीख 27 मार्च, 1961 के साथ प्रकाशित हुए थे, और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम पोत परिवहन विकास निधि (ऋण) संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

2. पोत परिवहन विकास निधि (ऋण) नियम 1961 में नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8. **सरकार का पूर्विक अनुमोदन** : —100 लाख रु० से अधिक ऋण मंजूर करने का समिति का प्रत्येक विनिश्चय केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा और समिति के विनिश्चय को निदेशालय को संसूचित करने से पूर्व, ऐसा अनुमोदन सचि द्वारा प्राप्त किया जाएगा।"

[सं० 35—एम डी (23)/67]

जसवन्त सिंह, अवर सचिव।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi, the 10th July 1970*

**G.S.R. 1075.**—In exercise of the powers conferred under rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Punjab, hereby makes the following amendments to Schedule III appended to the said rules:

2. The amendments may be called the Eighth Amendment of 1970 to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

3. These amendments shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

AMENDMENT TO IAS (PAY) SCHEDULE

4. In the said Schedule III, under the heading "A-Posts carrying pay above the time scale pay in the Indian Administrative Service under the State Governments" against Punjab, the following entry may be added:—

(i) Excise and Taxation Commissioner—Rs. 2,500—125/2—2,750.

(ii) *For* the entry

Financial Commissioner—Rs. 2,750.

the following entry may be substituted Financial Commissioner Taxation—Rs. 2,750.

5. Under the heading "B-Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Administrative Service under the State Governments, including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale" against Punjab, (i) the following entries may be deleted, namely:—

Additional/Joint Secretary Development

Additional/Joint Secretary Finance

Excise and Taxation Commissioner

(ii) the following entries may be added:—

Additional/Joint Secretaries to Government.

Managing Director Punjab Agro Industries Corporation.

Managing Director Punjab State Industrial Corporation.

Director State Transport.

(iii) For the entries

(a) Director of Consolidation, Colonisation and Acquisition

(b) Provincial Transport Controller

(c) Director Local Government Town & Country Planning & Urban Estates

(d) Joint Director Industries

the folowing entries may be substituted:—

(a) Director of Consolidation, Colonisation and Land acquisition

(b) State Transport Controller

(c) Director Local Government

(d) Joint Director, Industries (Administration).

**[No. 11/13/69-AIS(I)-B.]**

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जलाई, 1970

सा० का० नि० 1075.—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, पंजाब सरकार के परामर्श से, उक्त नियम के साथ संलग्न अनुसूची III में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. इन संशोधनों को भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के 1970 का आठवां संशोधन कहा जा सकेगा ।

3. ये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

4. उक्त अनुसूची में पंजाब के सामने "क—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में समयमान वेतन से अधिक वेतन वाले पद" शीर्षक के अधीन (i) निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाए:—

उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त 2,500—125/2—2,750 रू०

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टि की जगह :—

वित्त आयुक्त 2,750 रू०

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाय :—

वित्त आयुक्त कराधान 2,750 रू०

पंजाब के सामने "ख—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ समयमान के वेतन वाले पद, जिनमें समय-मान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं" शीर्षक के अन्तर्गत (i) निम्नलिखित प्रविष्टियां हटा दी जायें, अर्थात् :—

अपर / संयुक्त सचिव, विकास ।

अपर / संयुक्त सचिव, वित्त ।

उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त ।

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जाएं :—

सरकार कर अपर / संयुक्त सचिव ।

प्रबन्ध निदेशक, पंजाब कृषि उद्योग निगम ।

प्रबन्ध निदेशक, पंजाब राज्य उद्योग निगम ।

निदेशक, राज्य परिवहन ।

(iii) निम्नलिखित प्रविष्टियों की जगह :—

(क) निदेशक, चकबन्दी, उपनिवेशन और भूमि अर्जन ।

(ख) प्रान्तीय परिवहन नियंत्रक ।

(ग) निदेशक, स्थानीय शासन ।

(घ) संयुक्त निदेशक, उद्योग ।

निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं :—

(क) निदेशक चकबन्दी, उपनिवेशन और भूमि अर्जन ।

(ख) राज्य परिवहन नियंत्रण ।

(ग) निदेशक, स्थानीय शासन ।

(घ) संयुक्त निदेशक, उद्योग, (प्रशासन)

[सं० 11/13/69-अ०भा०से० (1)-(ख)]

*New Delhi, the 14th July 1970*

**G.S.R. 1076.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the State Governments Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Third Amendment Regulations, 1970.

2. They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1968.

2. In the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, in regulation 2, in sub-regulation (1), for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:—

"(j) 'State Police Service' means,—

(i) for the purpose of filling vacancies in the Indian Police Service Cadre for the Union territories under rule 9 of the Recruitment Rules, any of the following services, namely:—

(a) the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Police Service;

(b) the Manipur Police Service;

(c) the Tripura Police Service;

(d) Cadre of Deputy Superintendents of Police in the Union territory of Goa, Daman and Diu;

(e) Cadre of Superintendents of Police in the Union territory of Pondicherry;

(ii) in all other cases, the principal police service of a State, a member of which normally holds charge of a sub-division of a district for purposes of police administration and includes any other duly constituted police service functioning in a State which is declared by the State Government to be equivalent thereto;".

[No. 13/4/67-AIS(I)-2.]

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1970

**सा० का० नि० 1076.**—भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ

लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम 1 जनवरी, 1968 से लागू समझे जायेंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में खण्ड (ञ) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(ञ) 'राज्य पुलिस सेवा' का अर्थ है :—

(i) भर्ती नियम के नियम 9 के अधीन संघ शासित क्षेत्रों के लिए भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में रिक्त पदों को भरने के प्रयोजन के लिए कोई भी निम्नलिखित सेवा, अर्थात् :—

(क) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा;

(ख) मणिपुर पुलिस सेवा;

(ग) त्रिपुरा पुलिस सेवा,

(घ) गोवा, दमन, दिउ के संघ शासित क्षेत्र में पुलिस उप-अधीक्षक का संवर्ग, और

(ङ) पाण्डिचरी के संघ शासित क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक का संवर्ग,

(ii) अन्य सभी मामलों में किसी भी राज्य की मुख्य पुलिस सेवा जिसका कोई भी सदस्य पुलिस प्रशासन के प्रयोजन के लिए आमतौर से किसी जिले के उप-प्रभाग का कार्यभार संभालता हो और राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित उस राज्य में काम करने वाली और कोई भी सामान्य रूप से संगठित पुलिस सेवा सम्मिलित हो ।

[संख्या 13/4/67-अ०भा०से० (1)-2]

**G.S.R. 1077.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Third Amendment Regulations 1970.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1968.

2. In the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, in regulation 2, in sub-regulation (1), for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:—

"(j) 'State Civil Service' means,

(i) for the purpose of filling vacancies in the Indian Administrative Service Cadre for the Union territories under rule 8 of the Recruitment Rules, any of the following services, namely:—

(a) the Delhi, Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands Civil Service;

(b) the Manipur Civil Service;

(c) the Tripura Civil Service;

(d) the Goa, Daman and Diu Civil Service;

(e) the Pondicherry Civil Service;

(f) Selection Grade and Grade I of the North East Frontier Agency Civil Service;

(ii) in all other cases, any service or services approved for purposes of the Recruitment Rules by the Central Government in consultation with the State Government, a member of which normally holds for purposes of revenue and general administration charge of a sub-division of a district or a post of higher responsibility;".

[No. 13/3/67-AIS(I)-2.]

सा०का० नि० 1077.—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है; अर्थात्:—

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम 1 जनवरी, 1968 से लागू समझे जायेंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, खण्ड (अ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात्:—

"(अ) 'राज्य सिविल सेवा' का अर्थ है—

(i) भर्ती नियम के नियम 8 के अधीन संघ शासित क्षेत्रों के लिए भारतीय प्रशासन सेवा संबंधी में रिक्त पदों को भरने के प्रयोजन के लिए कोई भी निम्नलिखित सेवा अर्थात्:—

(क) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा;

(ख) मणीपुर सिविल सेवा;

(ग) त्रिपुरा सिविल सेवा;

(घ) गोवा, दमन और दीव सिविल सेवा,

(ङ) पांडिचेरी सिविल सेवा;

(च) उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र अभिकरण सिविल सेवा के प्रवरण ग्रेड और ग्रेड I ;

(ii) अन्य सभी मामलों में, कोई भी सेवा या सेवाएं जिनपर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से ये भर्ती नियम लागू किये जाने हैं और जिसका कोई भी सदस्य राजस्व और सामान्य प्रशासन के प्रयोजन के लिए आमतौर से किसी जिले के उप-प्रभाग या किसी अधिक उत्तरदायित्व के पद पर कार्य करता हो ।"

[संख्या 13/3/67-अ०भा०से० (1)-2]

*New Delhi, the 15th July 1970*

**G.S.R. 1078.**—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title, commencement and application.**—(1) These rules may be called the All-India Services (Confidential Rolls) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the writing and the maintenance of the confidential reports on the members of the Service serving in connection with the affairs of the Union or of a State.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "confidential report" means the confidential report referred to in rule 5;

(b) "confidential roll" means the compilation of the confidential reports written on a member of the Service;

(c) "Government" means—

(i) in the case of a member of the Service serving in connection with the affairs of the Union, the Central Government, or

(ii) In the case of a member of the Service serving in connection with the affairs of a state the Government of that State;

(d) "member of the Service" means a member of an All-India Service as defined in seicion 2 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951);

(e) "reporting authority" means the authority who was, during the period for which the confidential report is written, immediately superior to the member of the Service and such other authority as may be specifically empowered in this behalf by the Government;

(f) "reviewing authority" means the authority who was, during the period for which the confidential report is written, immediately superior to the reporting authority and such other authority as may be specifically empowered in this behalf by the Government;

(g) "State" means a State specified in the First Schedule to the Constitution and includes a Union Territory;

(h) "State Government" means the Government of the State on whose cadre the member of the Service is borne.

3. **Maintenance and custody of confidential rolls.**—(1) A confidential roll shall be maintained in respect of every member of the Service by the State Government as well as by the Central Government.

(2) The State Government as well as the Central Government may specify the manner in which the aforesaid confidential rolls shall be maintained and kept by it.

4. **Form of the confidential report.**—The confidential report shall be written by the reporting authority in such form as may be specified by the Central Government:

Provided that the Government may make such additions in the form so specified as may be considered necessary or desirable by it to suit local conditions or requirements.

5. **Confidential reports.**—(1) A confidential report assessing the performance, character, conduct and qualities of every member of the Service shall be written for each financial year, or calendar year, as may be specified by the Government, immediately after the close of the said year.

(2) A confidential report shall also be written when either the reporting authority or the member of the Service reported upon relinquishes charge of the post, and, in such a case, it shall be written at the time of the relinquishment of his charge of the post or immediately thereafter.

(3) Where more than one confidential reports are written on a member of the Service during the course of a financial year or a calendar year, as the case may be, each such report shall indicate the period to which it pertains.

(4) No confidential report shall be written on a member of the Service unless the reporting authority has seen the performance of the said member for at least three months during the period for which the confidential report is to be written.

6. **Review of the confidential report.**—(1) The confidential report shall be reviewed and countersigned by the reviewing authority, except in cases where the reporting authority is a Minister.

(2) No review of the confidential report on a member of the Service shall be written unless the reviewing authority has seen the performance of the said member for at least three months during the period for which the report has been written.

7. **Communication of the confidential report to the Central Government and the State Government.**—A certified true copy of the confidential report shall be sent to the Central Government or the State Government or both to the Central Government and the State Government, according as the member of the Service is serving in connection with the affairs of the State, on whose cadre he is borne, or the Union, or a State, to which he has been deputed.

8. **Communication of adverse remarks.**—(1) Where a confidential report contains an adverse remark or a critical remark or a remark which indicates a significant fall in the standard of performance of a member of the Service as compared to his past performance, it shall be communicated to him, together with a substance of the entire confidential report, by the Government or the reviewing authority, as may be specified by the Government, within three months of the receipt of the confidential report and a certificate to this effect shall be recorded in the confidential report.

(2) The question whether a particular remark recorded in the confidential report on a member of the Service is an adverse remark or a critical remark or a remark which indicates a significant fall in the standard of performance of the member of the Service as compared to his past performance, or not, shall be decided by the Central Government or the Government of the State according as the member of the Service is serving in connection with the affairs of the Union or a State:

Provided that, in the event of any difference of opinion between the Central Government and the Government of a State as to whether a particular remark is to be deemed an adverse remark or a critical remark or a remark which indicates a significant fall in the standard of performance of the member of the Service as compared to his past performance or not, the opinion of the Central Government shall prevail.

9. **Representation against adverse remarks.**—A member of the Service may represent to the Government against the remark communicated to him under rule 8 within three months of the date of its receipt by him:

Provided that the Government may entertain a representation within one year of the expiry of the said period if it is satisfied that the member of the Service had sufficient cause for not submitting the representation in time.

10. **Consideration of representation against adverse remarks.**—(1) The Government shall, and if it considers necessary, in consultation with the reporting authority or the reviewing authority, consider the representation made under rule 9 by a member of the Service and pass orders as far as possible within three months of the date of submission of the representation—

(a) rejecting the representation, or

(b) toning down the remarks, or

(c) expunging the remark:

Provided that where an order toning down or expunging the remark is passed, a copy of such order, and, if the order is passed beyond twelve months after the close of the financial year or calendar year, as the case may be, to which the

remark pertains, the reasons therefor, together with the certified true copies of the representation made and the remarks of the reporting authority and the reviewing authority, shall be endorsed to the Central Government or the State Government or both to the Central Government and the State Government according as the member of the Service is serving in connection with the affairs of a State on whose cadre he is borne or the Union or a State to which he has been deputed:

Provided further that the aforesaid order shall be passed only by an authority superior to the reviewing authority and where the reporting authority or the reviewing authority is a Minister, the said order shall be passed by the Council of Ministers or such Committee thereof as may be constituted in this behalf by the Government.

(2) The order so passed on the representation shall be final and the member of the Service concerned shall be informed suitably.

11. **Interpretation.**—Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

[No. 36/1/69-AIS(III).]

नई दिल्ली 15 जुलाई, 1970

सा० **का०नि०1078**.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61वां) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सम्बंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक, लागू होने की तारीख.**— (1) ये नियम अखिल भारतीय सेवा (गोपनीय पंजियां) नियम 1970 कहे जा सकते हैं ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

(3) ये नियम केन्द्र अथवा किसी राज्य के कार्य से संबद्ध के अधिकारियों की गोपनीय पंजिया लिखने तथा उन्हें रखने के संबंध में लागू होंगे ।

2. **परिभाषा** .—इन नियमों में, अन्यथा किसी संदर्भ को छोड़कर,—

(क) "गोपनीय रिपोर्ट" का नियम 5 में निर्दिष्ट गोपनीय रिपोर्ट होगा ;

(ख) "गोपनीय पंजी" का अर्थ—सेवा के किसी अधिकारी के संबंध में लिखी गई गोपनीय रिपोर्टों का संकलन होगा ;

(ग) "सरकार" का अर्थ —

(i) संघ के कार्यों से संबंधित सेवा के किसी अधिकारी के मामले में केन्द्रीय सरकार होगा, या

(ii) राज्य के कार्यों से संबंधित सेवा के किसी अधिकारी के मामले में उस राज्य की सरकार होगी ।

(घ) सेवा के अधिकारी का अर्थ किसी अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी होगा, जैसी कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61वां) के खंड 2 में परिभाषा दी गई है ।

(ङ) 'रिपोर्ट देने वाले अधिकारी" का तात्पर्य उस अधिकारी से है जो उस अवधि में, जिसके संबंध में गोपनीय रिपोर्ट लिखी जाय, सेवा के अधिकारी से निकटतम वरिष्ठ हो, अथवा ऐसा अन्य कोई अधिकारी जिसे सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किया जाय ;

(च) पुनरीक्षण अधिकारी का तात्पर्य उस अधिकारी से है जो उस अवधि में, जिसके संबंध में गोपनीय रिपोर्ट लिखी जाय, रिपोर्ट देने वाले अधिकारी से निकटतम वरिष्ठ हो, अथवा ऐसा अन्य कोई अधिकारी जिसे सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किया जाय ;

(छ) "राज्य" का तात्पर्य है संविधान का प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य से जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित है ;

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उस राज्य की सरकार से है जिसके संवर्ग में सेवा का वह अधिकारी हो ।

3. **गोपनीय पंजियों का सुरक्षित रूप से रखा जाना**.—(1) सेवा के प्रत्येक अधिकारी के संबंध में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ही गोपनीय पंजियां रखेंगी ।

(2) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार वह पद्धति निर्धारित कर सकती है जिसके अनुसार उपर्युक्त चरित्र पंजियां रखी जायेंगी ।

4. **चरित्र पंजी का फार्म**.—केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित फार्म में रिपोर्ट देने वाले अधिकारी गोपनीय रिपोर्ट लिखेंगे ।

यह व्यवस्था की जाती है कि सरकार इस प्रकार से निर्धारित फार्म में ऐसी बढ़ोतरी कर सकती है जो स्थानीय स्थितियों और आवश्यकताओं के लिए वह आवश्यक अथवा वांछनीय समझे ।

5. **गोपनीय रिपोर्ट**.—(1) सेवा के प्रत्येक अधिकारी के कार्य निष्पादन चरित्र तथा गुणों की एक गोपनीय मूल्यांकन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष वित्तीय अथवा पंचांग वर्ष (जो भी सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय) समाप्त होने के तुरन्त बाद लिखी जायगी ।

(2) गोपनीय रिपोर्ट तब भी लिखी जायेगी जबकि रिपोर्ट देने वाला अधिकारी या वह अधिकारी जिसके संबंध में रिपोर्ट दी जा रही है अपने पद का कार्यभार छोड़े और ऐसी अवस्था में अपने पद का कार्यभार छोड़ते समय अथवा उसके तुरन्त पश्चात यह रिपोर्ट लिखी जायेगी ।

(3) जब किसी वित्तीय वर्ष अथवा पंचांग वर्ष (जो भी स्थिति हो) सेवा के किसी अधिकारी के संबंध में एक से अधिक गोपनीय रिपोर्ट लिखी जाय तो ऐसी रिपोर्ट में वे अवधियां लिखा दी जायेंगी जिनसे वह रिपोर्ट संबंधित है ।

(4) सेवा के किसी अधिकारी के संबंध में तब तक कोई गोपनीय रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी जब तक कि रिपोर्ट देने वाले अधिकारी गोपनीय रिपोर्ट की अवधि से अवधि के दौरान कम से कम तीन मास तक उपर्युक्त अधिकारी का कार्य न देख ले ।

6. **गोपनीय रिपोर्ट का पुनरीक्षण** .—(1) जिन मामलों में रिपोर्ट किसी मंत्री द्वारा दी जाय उनको छोड़कर पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा गोपनीय रिपोर्टों की पुनरीक्षा की जाएगी ।

(2) सेवा के किसी अधिकारी से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट की पुनरीक्षण तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि पुनरीक्षण अधिकारी ने उपर्युक्त अधिकारी का कार्य कम से कम तीन मास तक न देखा हो ।

7. **केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को गोपनीय रिपोर्ट को सूचित करना** .—जिस राज्य में संबंधित कार्य में इस सेवा का अधिकारी नियुक्त हो, और जिस राज्य के संवर्ग पर उसका नाम हो, अथवा केन्द्र या जिस राज्य में वह प्रतिनियुक्त हो, उसे गोपनीय रिपोर्ट की प्रमाणीकृत प्रतिलिपि यथास्थिति केन्द्रीय सरकार को अथवा राज्य सरकार को अथवा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को भेजी जायेगी ।

8. **प्रतिकूल टिप्पणी अधिकारी को सूचित करना** .—(1) जहां सेवा के किसी अधिकारी के भूतपूर्व कार्य निष्पादन की तुलना में किसी गोपनीय रिपोर्ट में उसके कार्य निष्पादन के स्तर में हुए विशिष्ट ह्रास की द्योतक प्रतिकूल टिप्पणी अथवा आलोचना की गई हो, तो वह गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तीन मास की अवधि में सरकार अथवा पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा विहित पद्धति से सम्पूर्ण गोपनीय रिपोर्ट के सारांश सहित संबंधित अधिकारी को सूचित की जायेगी और गोपनीय रिपोर्ट में इससे संबंधित एक प्रमाण-पत्र भी सम्मिलित किया जायेगा ।

(2) इस प्रश्न का निर्णय केन्द्रीय सरकार अथवा वह राज्य सरकार (जिनसे संबंधित कार्यों पर सेवा का अधिकारी नियुक्त है) द्वारा किया जायेगा कि सेवा के किसी अधिकारी से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट में दी गई कोई विशेष टिप्पणी, उसके भूतपूर्व कार्य निष्पादन की तुलना में, अब उसके कार्य निष्पादन के स्तर में हुए विशिष्ट ह्रास की द्योतक टिप्पणी अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा आलोचनात्मक टिप्पणी है या नहीं ।

यह व्यवस्था की जाती है कि कोई विशिष्ट टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी अथवा आलोचनात्मक टिप्पणी अथवा सेवा के अधिकारी के भूतपूर्व निष्पादन की तुलना में उसके कार्य निष्पादन के स्तर में हुए ह्रास की द्योतक टिप्पणी है अथवा नहीं, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार तथा किसी राज्य सरकार के बीच मतभेद होने की अवस्था में केन्द्रीय सरकार का मन्तव्य स्वीकार्य होगा ।

9. **प्रतिकूल टिप्पणियों के संबंध में अभ्यावेदन** .—सेवा का अधिकारी, उसको सूचित प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में, सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर नियम 8 के अधीन सरकार का अभ्यावेदन दे सकता है ;

यह व्यवस्था की जाती है कि यदि सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि सेवा का कोई अधिकारी समुचित कारणवश अभ्यावेदन समय पर नहीं दे सका हो तो उपर्युक्त अवधि समाप्त होने पर एक वर्ष की अवधि के दौरान अभ्यावेदन ले सकती है ।

10. **प्रतिकूल टिप्पणियों से संबंधित अभ्यावेदन पर विचार करना.**— (1) सरकार, यदि आवश्यक समझे, तो रिपोर्ट देने वाले अधिकारी और पुनरीक्षण अधिकारी की परामर्श से सेवा के सदस्य द्वारा नियम 9 के अधीन दिये गए अभ्यावेदन पर विचार करेगी और अभ्यावेदन देने की तारीख से तीन मास के दौरान उस पर अपने आदेश निम्नलिखित प्रकार से देगी :—

(क) अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के आदेश, अथवा

(ख) टिप्पणी की गम्भीरता कम करने के आदेश, अथवा

(ग) टिप्पणी हटाने के आदेश

यह व्यवस्था की जाती है कि जहां टिप्पणी की गम्भीरता कम करने अथवा उसे हटाने के आदेश दिए गए तो ऐसे आदेशों की एक प्रतिलिपि, और यदि ऐसे आदेश वित्तीय वर्ष अथवा वर्ष समाप्त होने से बारह मास की अवधि के पश्चात् दिए जायें (जैसी भी स्थिति हो) तो उसके कारण, तथा दिए गए अभ्यावदन और रिपोर्ट देनेवाले अधिकारी तथा पुनरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी की प्रमाणित प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों को, जहां पर कि सेवा का संबंधित अधिकारी काम कर रहा हो अथवा जिसके संवर्ग पर उसका नाम हो अथवा केन्द्र या जिस राज्य में वह प्रतिनियुक्ति हो उसको पृष्टांकित की जायेगी :

यह भी व्यवस्था की जाती है कि उपर्युक्त आदेश समीक्षा अधिकारी से वरिष्ट किसी अधिकारी द्वारा (ही पारित किए जाएगें) अथवा जहां पर रिपोर्ट देने वाले अधिकारी अथवा पुनरीक्षण अधिकारी कोई मंत्री हो तो उपर्युक्त आदेश मंत्री परिषद अथवा ऐसी समिति द्वारा पारित किए जाएंगे जो सरकार द्वारा इस संबंध में गठित की जाए ।

(2) अभ्यावदन पर इस प्रकार पारित आदेश अंतिम होंगे और संबधित सेवा के अधिकारी को इससे सूचित किया जायेगा ।

11. **अर्थ निर्णय.**— यदि इन नियमों के किसी उपबंध के अर्थ निर्णय के संबंध में कोई संदेह हो तो मामला केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा जो कि उसका निर्णय करेगी ।

[सं० 36/1/69-अ० भा० से०(3)]

**G.S.R. 1079.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule 2 of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Punjab, hereby makes the following *regulations, namely:*—

(i) The amendment shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette of India.

(ii) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 1970.

*AMENDMENT TO THE FIXATION OF CADRE STRENGTH.*

| | | |
|---|---|---|
| 1. Senior posts under State Government | | 64 |
| Chief Secretary to Government | 1 | |
| Financial Commissioner Revenue | 1 | |
| Financial Commissioner Taxation | 1 | |
| Commissioners of Divisions | 2 | |

| | |
|---|---|
| Excise and Taxation Commissioner | 1 |
| Secretaries to Government of the Commissioner's rank | 3 |
| Other Secretaries to Government. | 4 |
| Additional/Joint Secretary, Revenue-*cum*-Agrarian Reforms Officer and Special Collector. | 1 |
| Additional/Joint Secretaries to Government | 4 |
| Deputy Secretaries to Government. | 16 |
| Secretary to Governor. | 1 |
| Principal Secretary to Chief Minister. | 1 |
| Director of Information and Publicity, Tourism Hospitality, Cultural Affairs and Removal of Grievances. | 1 |
| Director of Consolidation, Colonization and Land Acquisition. | 1 |
| State Transport Commissioner. | 1 |
| Director State Transport. | 1 |
| Registrar, Co-operative Societies. | 1 |
| Director, Industries and Industrial Training. | 1 |
| Director of Panchayats and Community Development. | 1 |
| Inquiry Officer, Vigilance. | 1 |
| Director of Land Records and Settlement | 1 |
| Director, Local Government. | 1 |
| Director, Food and Civil Supplies. | 1 |
| Labour Commissioner and Director of Employment | 1 |
| Joint Director, Industries (Administration) | 1 |
| Joint Registrar, Co-operative Societies | 1 |
| Joint Excise and Taxation Commissioner. | 1 |
| Deputy Commissioners. | 11 |
| Managing Director, Punjab Agro Industries Corporation | 1 |
| Managing Director, Punjab State Industrial Development Corporation. | 1 |
| | 64 |
| 2. Central Deputation Reserve @ 40 % of above | 25 |
| | 89 |
| 3. Posts to be filled by promotion and Selection under Rule 8 of the IAS (Recruitment) Rules, 1954 @ 25 % of 1 and 2 above. | 22 |
| 4. Posts to be filled by Direct Recruitment (1 and 2 minus 3 above). | 67 |
| 5. Deputation Reserve @ 20 % of 4 above. | 13 |
| 6. Leave Reserve @ 5 % of 4 above. | 3 |
| 7. Junior posts @ 20·60 % of 4 above. | 14 |
| 8. Training Reserve @ 10·59 % of 4 above. | 7 |
| Direct Recruitment posts. | 104 |
| Promotion posts. | 22 |
| Total authorised Strength. | 126 |

[No. 11/13/69-AIS(I)-(A).]

सा० का० नि० 1079.—भारतीय प्रशासन सेवा (सवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

(I) यह संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।

(II) इन विनियमों को भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या नियतन) संशोधन विनियम, 1970 कहा जा सकेगा।

**संवर्ग संख्या नियतन में संशोधन**

| | |
|---|---|
| राज्य सरकार के अधीन वरिष्ट पद . . . . | 64 |
| सरकार के मुख्य सचिव . . . . . | 1 |
| वित्त आयुक्त, राजस्व . . . . . | 1 |
| वित्त आयुक्त कराधान . . . . . | 1 |
| मण्डलों (डिवीजनों) के आयुक्त . . . . | 2 |
| उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त . . . . | 1 |
| सरकार के सचिव (आयुक्त की श्रेणी के) . . . | 3 |
| सरकार के अन्य सचिव . . . . . | 4 |
| अपर संयुक्त सचिव, राजस्व व भूमि सुधार अधिकारी तथा विशेष वलक्टर | 1 |
| सरकार के अपर/संयुक्त सचिव . . . . | 4 |
| सरकार के उप सचिव . . . . . | 16 |
| राज्यपाल के सचिव . . . . . | 1 |
| मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव . . . . . | 1 |
| सूचना व प्रचार, पर्यटन अतिथ्य-सत्कार, सांस्कृतिक कार्य तथा शिकायत निवारण के निदेशक . . . . . | 1 |
| निदेशक, चकबन्दी, उपनिवेशन और भूमि अर्जन . . . | 1 |
| राज्य परिवहन आयुक्त . . . . . | 1 |
| निदेशक, राज्य परिवहन . . . . . | 1 |
| सहकारी समितियों के पंजीयक . . . . . | 1 |
| उद्योगों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के निदेशक . . . | 1 |
| निदेशक, पंचायत तथा समाज विकास . . . . | 1 |
| जांच अधिकारी, सतर्कता . . . . . | 1 |
| निदेशक, भूमि रिकार्ड तथा बन्दोबस्त . . . . | 1 |
| निदेशक, स्थानीय शासन . . . . . | 1 |

| | |
|---|---|
| निदेशक, खाद्य तथा सिविल पूर्ति (सप्लाई) . . . | 1 |
| श्रम आयुक्त तथा रोजगार निदेशक . . . . | 1 |
| संयुक्त निदेशक, उद्योग (प्रशासन) . . . . . | 1 |
| संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां . . . . | 1 |
| उत्पाद-शुल्क तथा कराधान के संयुक्त आयुक्त . . . | 1 |
| उपायुक्त . . . . . . . | 11 |
| प्रबन्ध निदेशक, पंजाब कृषि उद्योग निगम . . . . | 1 |
| प्रबन्ध निदेशक, पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम . . | 11 |
| | 64 |
| 2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व | |
| उपर्युक्त 1 के 40 प्र०श० के हिसाब से . . . . . | 25 |
| | 89 |
| 3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति और प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद | |
| उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्र०श० के हिसाब से . . . . | 22 |
| 4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद | |
| उपर्युक्त 1 और 2 में 3 घटाकर . . . . | 67 |
| 5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व | |
| उपर्युक्त 4 के 20 प्र०श० के हिसाब से . . . . | 13 |
| 6. छुट्टी रिजर्व | |
| उपर्युक्त 4 के 5 प्र०श० के हिसाब से . . . . | 3 |
| 7. कनिष्ट पद | |
| उपर्युक्त 4 के 20.60 प्र०श० के हिसाब से . . . | 14 |
| 8. प्रशिक्षण रिजर्व | |
| उपर्युक्त 4 के 10.59 प्र०श० के हिसाब से सीधी भर्ती पद . . | 7 |
| | 104 |
| पदोन्नति पद . . . . . . . . | 22 |
| कुल प्राधिकृत संख्या . . . . . . | 126 |

[सं० 11/13/69—अ० भा०से० (1)-(क)]

*New Delhi, the 16th July 1970*

**G.S.R. 1080.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the All India Service Act 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Rajasthan, hereby makes the following regulations, namely:—

(i) The amendment shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette of India.

(ii) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 1970.

AMENDMENT TO THE FIXATION OF CADRE STRENGTH

| | | |
|---|---|---|
| 1. Senior posts under the State Government | | 47 |
| Inspector General of Police | 1 | |
| Additional Inspector General of Police | 1 | |
| Deputy Inspectors General of Police | 8 | |
| Assistant Inspectors General of Police | 2 | |
| Superintendents of Police | 26 | |
| Superintendent of Police, CID (Crime) | 1 | |
| Superintendent of Police, CID (Intelligence) | 1 | |
| Superintendent of Police CID, S. B. (Jodhpur Zone) | 1 | |
| Superintendent of Police, Railways | 1 | |
| Superintendent of Police, Anti-Corruption Branch | 1 | |
| Assistant Inspector General of Police, Traffic | 1 | |
| Principal, Police Training School | 1 | |
| Commandant, RAC | 2 | |
| | 47 | |
| 2. Central Deputation Reserve @ 40% of 1 above. | 18 | |
| 3. Posts to be filled by promotion & Selection under Rule 8 of the IPS (Recruitment) Rules, 1954 @ 25% of 1 & 2 above. | 16 | |
| 4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 3 above. | 49 | |
| 5. Deputation Reserve @ 20% of 4 above | 10 | |
| 6. Leave Reserve @ 5% of 4 above. | 2 | |
| 7. Junior posts @ 20.60% of 4 above. | 10 | |
| 8. Training Reserve @ 10.59% of 4 above. | 5 | |
| Direct Recruitment posts. | 76 | |
| Promotion posts. | 16 | |
| Total Authorised Strength. | 92 | |

[No. 11/31/69-AIS(I)-A.]

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1970

**सा० का० नि० 1080.**—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :—

(i) यह संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा ।

(ii) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1970 कहा जा सकेगा ।

**संवर्ग संख्या नियतन में संशोधन**

| | |
|---|---|
| 1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद | 47 |
| पुलिस महा निरीक्षक | 1 |
| पुलिस अपर महा निरीक्षक | 1 |
| पुलिस उप महा निरीक्षक | 8 |
| पुलिस सहायक महा निरीक्षक | 2 |
| पुलिस अधीक्षक | 26 |
| पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी० (अपराध) | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, सी० आई०डी० (खुफिया) | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी०, एस० बी (जोधपुर जोन) | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, रेलवे | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार विरोधी शाखा | 1 |
| पुलिस सहायक महा निरीक्षक, यातायात | 1 |
| प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल | 1 |
| कमान्डेंट, आर० ए० सी० | 2 |
| | 47 |
| 2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्त रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्र०श० के हिसाब से | 18 |
| | 65 |
| 3. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति और प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्र० श० के हिसाब से | 16 |
| 4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में 3 घटाकर | 49 |
| 5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्र० श० के हिसाब से | 10 |
| 6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्र० श० के हिसाब से | 2 |
| 7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्र० श० के हिसाब से | 10 |

| | |
|---|---|
| 8 प्रशिक्षण रिजर्व | |
| उपर्युक्त 4 के 10–59 प्र० श० के हिसाब से . . . . . | 5 |
| सीधी भर्ती पद . . . . . | 76 |
| पदोन्नति पद . . . . . | 16 |
| कुल प्राधिकृत संख्या . . . . . | 92 |

[सं० 11/31/69-अ०भा०से० (1)-क)]

*New Delhi, the 16th July 1970*

**G.S.R. 1081.**—In exercise of the powers conferred by Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Rajasthan, hereby makes the following amendments to Schedule III appended to the said rules:

2. The amendments may be called the Ninth Amendment of 1970 to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954.

3. These amendments shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

AMENDMENT TO I.P.S. (PAY) SCHEDULE

4. Under the heading 'B-Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Police Service under the State Governments, including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale' against Rajasthan, the following entries may be added namely:—

Assistant Inspector General of Police, Traffic.

Superintendent of Police, (II), S B. (Jodhpur Zone).

[No 11/31/69-AIS(I).]

B. NARASIMHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1970

**सा० का० नि० 1081.**—भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार के परामर्श से उक्त नियम के साथ संलग्न अनुसूची III में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. इन संशोधनों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 1954 के 1970 का नवां संशोधन कहा जा सकेगा ।

3. ये संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) अनुसूची में संशोधन

4. राजस्थान के सामने "ख—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समयमान के वेतन वाले पद, जिनमें समयमान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल है शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जायें, अर्थात् :—

पुलिस सहायक महा निरीक्षक, यातायात

पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी० एस० बी० (जोधपुर) जोन) ।

[सं० 11/31/69-अ० भा० से० (I)]

बी० नरसिंहन्, अवर सचिव ।

---

*New Delhi, the 13th July 1970*

**G.S.R. 1082.**—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Temporary Service) Amendment Rules, 1970.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st November, 1967.

2. In the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 for clause (e) of rule 2, the following clause shall be substituted, namely:—

"(e) "Defence Services" means services under the Government of India in the Ministry of Defence and in the Defence Accounts Departments under the control of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) (Defence Division) paid out of the Defence Services Estimates and not permanently subject to the Air Force Act, 1950 (45 of 1950) or the Army Act, 1950 (46 of 1950) or the Navy Act, 1957 (62 of 1957)".

[No. 4/3/70-Ests(C).]

E. S. PARTHASARTHY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1970

**सा० का० नि० 1820.**—संविधान के अनुच्छेद 309 तथा अनुच्छेद 148 के खंड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियंत्रक तथा महा लेखा-परीक्षक से परामर्श करने के बाद, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये 1 नवम्बर, 1967 को लागू हुए समझे जायेंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 में नियम 2 के खंड (ङ०) की जगह निम्नलिखित खण्ड पुरःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"(ङ) "रक्षा सेवाओं" का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो भारत सरकार के अधीन रक्षा मंत्रालय में और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) (रक्षा प्रभाग) के नियंत्रण के अधीन रक्षा लेखा विभाग में हैं तथा जिन्हें रक्षा सेवा प्राक्कलनों से भुगतान किया जाता है और जो स्थायी रूप से वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) या स्थल सेना अधिनियम 1950 (1950 का 46) या नौ सेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन नहीं है ।"

[सं० 4/3/70-स्थापना (सी)]

ई० एस० पार्थासारथी, उप सचिव ।

---

*New Delhi, the 14th July 1970*

**G.S.R. 1083.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant (Excluded) Class III in the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Assistant (Excluded) Class III (Ministry of Home Affairs) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Classification and scale of pay, method of recruitment etc.**—The classification of the post, the scale of pay attached thereto, the method of recruitment and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 3 to 13 of the Schedule hereto annexed.

3. **Disqualifications.**—No person:—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.

4. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

SCHE

*Recruitment Rules for the Post of Assistant*

| Name of the post | Number of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection or non-Selection post | Age for direct recruitment | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Assistant (excluded) | 2 | General Central Service—Class—III Ministerial—Non-Gazetted. | Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

DULE

*(Excluded) Class III in the Ministry of Home Affairs*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees/ deputationists/ transferees | Period of probation | Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer and the percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or transfer/deputation, grades from which promotion or transfer/ deputation to be made | If D.P.C. exists, what is, its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | Not applicable. | By transfer on deputation. | *Transfer on deputation* : of Accountants of Subordinate Accounts Services or equivalent in the Indian Audit and Accounts Departments, the Indian Defence Accounts Department, the Indian Railway Accounts Department or the Indian Posts and Telegraphs Department (Period of deputation, ordinarily not exceeding three years.) | Not applicable. | Not applicable. |

[No. 101/5/69-Ad.I(B).]

P. N. KALRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जुलाई 1970

**सा० का० नि० 1083.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय में सहायक (अपवर्जित) श्रेणी–3 के पद में भर्ती की पद्धत्ति को विनियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ**:—(1) ये नियम सहायक (अपवर्जित) श्रेणी–3 (गृह मंत्रालय) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **वर्गीकरण तथा वेतन-मान, भर्ती की पद्धति आदि**.—पद का वर्गीकरण, उससे सम्बद्ध वेतनमान, भर्ती की पद्धति तथा उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 3 से 13 में दिये अनुसार होंगी ।

3. **अनर्हताएं**:—कोई भी व्यक्ति :

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने का इकरार किया हो जिसके एक जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जिसने, एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने का इकरार किया हो,

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात पर सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस ऐसे व्यक्ति तथा विवाह से सम्बद्ध दूसरे व्यक्ति पर लागू वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू किये जाने से छूट दे सकेगी ।

4. **नियम शिथिल करने की शक्ति।**—जहां कि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां ऐसे कारणों से, जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को बाबत इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

अनु

गृह मंत्रालय में सहायक (अपवर्जित) श्रेणी–3

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन-मान | प्रवरण पद अथवा अप्र-वरण पद | सीधी भर्ती किये जाने वालों के लिए आयु | सीधी भर्ती किये जाने वालों के लिए अपेक्षित शक्षिणिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सहायक (अपवर्जित) | 2 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–3 लिपिक वर्गीय अराजपत्रित | रू० 210–10–270–15–300–द०रो०–15–450–द०रो०–20 530 | लागू नहीं होता | लागू नही होना | लागू नहीं होता |

सूची

के पद के लिए भर्ती नियम

| क्या सीधी भर्ती किये जाने वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिणिक अर्हताएं पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरित किये जाने वालों के लिए भी लागू होगी | परिवीक्षा की अवधि | भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति के द्वारा भर्ती किये जाने पर किस ग्रेड से पदोन्नति या स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति की जायगी | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है | किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा । | भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग, भारतीय प्रतिरक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेलवे लेखा विभाग या भारतीय डाक तार विभाग में काम करने वाले अधीनस्थ लेखा सेवाओं के अथवा समकक्ष लेखा पालों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं ।) | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

[संख्या 101/5/69-प्रशासन 1 (ख)]

पी० एन० कालड़ा, अवर सचिव ।

*New Delhi, the 14th July 1970*

**G.S.R. 1084.**—In pursuance of the provisions of sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Fourth Schedule to the Central Secretariat Service Rules, 1962, the Central Government in the Ministry of Home Affairs, in consultation with the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Service Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination Regulations, 1964, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Central Secretariat Service Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination (Amendment) Regulations, 1970.

(2) They shall come into force immediately.

2. In the Central Secretariat Service Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination Regulations, 1964, in regulation 4,—

(i) the words "or of Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service" shall be omitted;

(ii) Conditions 1(ii) and 1(iii) shall be omitted;

(iii) Condition 1(iv) shall be re-numbered as condition 1(ii);

(iv) for Note 1 below condition (4) the following Note shall be substituted, namely:—

"NOTE 1.—Assistants who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible;

Provided that it shall not apply to an Assistant, who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants' Grade";

(v) in Note 2, below condition (4) the words "and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers Service" shall be omitted;

[No. 5/35/70-CS(I).]

नई दिल्ली, 14 जुलाई 1970

**सा० का० नि० 1034**.—केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 की चौथी अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1964 में और अधिक संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) ये विनियम केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विनियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये तत्काल प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1964 में विनियम 4 में,—

(i) "या केन्द्रीय सचिवालय आशलिपिक सेवा की श्रेणी–2 का" शब्द लुप्त कर दिये जाएंगे;

(ii) शर्तें 1 (ii) और 1 (iii) लुप्त कर दी जाएंगी ;

(iii) शर्त 1(iv) को संख्या बदल कर 1(ii) कर दी जाएगी ;

(iv) शर्त (4) के नीचे टिप्पणी 1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात :—

"टिप्पणी—1—वे सहायक जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निःसंवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ;

परन्तु यह शर्त उस सहायक पर लागू नहीं होगी जो किसी पर निःसंवर्ग पद अथवा किसी अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" के आधार पर नियुक्त कर लिया गया हो और सहायकों की श्रेणी में उसका कोई धारणाधिकार न हो" ;

(v) शर्त (4) के नीचे टिप्पणी 2 में "और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक" शब्द लुप्त कर दिये जाएंगे ।

[सं० 5/35/70—के० से० (I)]

*New Delhi, the 17th July 1970*

**G.S.R. 1085.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Stenographers Service (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969,—

(i) after rule 12, the following rule shall be inserted, namely:—

"12A. *Special provision regarding Hindi Stenographers.*—(1) Notwithstanding anything contained in rule 12, recruitment to Grade II of the Service may also be made from amongst Hindi Stenographers working in the corresponding Scale of pay in any Ministry or Office specified in the First Schedule, subject to their qualifying in an examination held by the Commission.

(2) The rules for the examination referred to in sub-rule (1) shall be as determined by regulations made by the Central Government in the Ministry of Home Affairs."

(ii) in sub-rule (5) of rule 19, under the heading "II-Grade II", after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iii) Notwithstanding anything contained in clauses (i) and (ii) above, the seniority of persons falling in the category specified in clause (c) of the first proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the Fifth Schedule shall be such as may be determined by the Central Government in the Ministry of Home Affairs in consultation with the Commission.";

(iii) in the Fifth Schedule,—

(1) in the first proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 2, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) persons holding posts of Hindi Stenographers in any Ministry or Office specified in column (2) or column (3) of the First Schedule, in scales of pay the minimum and maximum of which are not less than Rs. 210 and Rs. 530 respectively, from a date earlier than 23rd March 1968, and who are declared qualified for inclusion in the Select List for Grade II of the Service on the results of the qualifying examinations held for this purpose by the Commission.";

(2) for sub-paragraph (2) of paragraph 2, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) The rules for the competitive examinations referred to in clauses (a) and (b) and for the qualifying examinations referred to in clause (c) of sub-paragraph (1) shall be as determined by regulations made by the Central Government in the Ministry of Home Affairs, and the allotment of candidates from the results of these examinations to the various cadres shall also be made by that Ministry.";

(iv) after sub-paragraph (2) of paragraph 3, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (1) and (2), the seniority of persons falling in the category specified in clause (c) of the first proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 2 above shall be such as may be determined by the Central Government in the Ministry of Home Affairs in consultation with the Commission"

[No. 16/3/70-C.S.II.]

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1970

सा० फा० नि० 1085.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में उन्हें समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 को और अधिक संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 में,—

(i) नियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"12-क हिन्दी आशुलिपिकों से संबंधित विशेष उपबन्ध

(1) नियम 12 में समाविष्ट किसी बात के रहते भी इस सेवा की श्रेणी—2 में भर्ती पहली अनसूची में विनिर्दिष्ट किसी मंत्रालय अथवा कार्यालय में तदनुरूप वेतनमान में कार्य करने वाले हिन्दी आशुलिपिकों में से भी, यदि वे आयोग द्वारा ली गई परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, की जा सकेगी ।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित परीक्षा के लिए नियम वही होंगे जो गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित किये जाएंगे ।"

(ii) नियम 19 के उप-नियम (5) में शीर्ष "2 श्रेणी—2" के अन्तर्गत खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

(iii) उपर्युक्त खंडों (i) तथा (ii) में समाविष्ट किसी बात के रहते भी, पांचवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रथम परन्तुक के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की ज्येष्ठता वही होगी जो गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से नियत की जाएगी ।" ;

(iii) पांचवीं अनुसूची में,—

(1) पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रथम परन्तुक में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) या स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट किसी मंत्रालय अथवा कार्यालय में 23 मार्च, 1968 से पूर्व किसी तारीख से हिन्दी आशुलिपिकों के पद धारण करने वाले वे हिन्दी आशुलिपिक जो ऐसे वेतनमानों में हैं जिनका न्यूनतम तथा अधिकतम क्रमशः 210 रुपये तथा 530 रुपये से कम न हो तथा जिन्हें इस सेवा की श्रेणी–2 की चयन सूची में शामिल करने के लिए, इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा ली गई अर्हक परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर अर्ह घोषित किया जाता है ।"

(2) पैरा 2 के उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) खंड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तथा उप-पैरा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित अर्हक परीक्षाओं के लिए नियम वही होंगे जो गृह मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा बनाये गये विनियम निर्धारित करेंगे तथा इन परिक्षाओं के परिणामों के आधार पर उम्मीदवारों का विभिन्न काडरों को आवंटन भी उसी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ।" ;

(iv) पैरा 3 के उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(3) उप-पैरे (1) तथा (2) में समाविष्ट किसी बात के रहते भी उपयुक्त पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रथम परन्तुक के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की ज्येष्ठता वही होगी जो गृह मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से नियत की जाएगी ।"

[सं० 16/3/70–के० से०–2]

**G.S.R. 1086.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, namely,—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Clerical Service (Third Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962,—

(i) for the existing second proviso under the sub-paragraph (a) under the sub-heading "(II) Temporary Officers" under the heading "II-Lower Division Grade" in sub-rule (3) of rule 17, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that the seniority of persons recruited through the competitive examinations held by the Commission in whose cases offers of appointment are revived after being cancelled and those appointed on

regular basis under the proviso to clause (b) of sub-rule (1) of rule 12 shall be such as may be determined by the Central Government in the Ministry of Home Affairs in consultation with the Commission.";

(ii) after rule 24, the following new rules shall be inserted, namely:—

"24-A. *Power to relax.*—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts."

[No. 8/40/69-CS.II.]

**सा० फा० नि० 1086**.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में उन्हें समर्थ करने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 में और अधिक संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (तीसरा संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 में,—

(i) नियम 17 के उपनियम (3) में शीर्ष "II—निम्न श्रेणी ग्रेड' के अन्तर्गत उप-शीर्ष "(ii) अस्थायी अधिकारियों के अधीन उपबंध (क) के अन्तर्गत विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किये गये उन व्यक्तियों की जिनके मामलों में नियुक्ति प्रस्ताव रद्द किये जाने के बाद पुनः प्रचलित कर दिये जाएं, तथा नियम 12 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक के अन्तर्गत नियमित आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता वही होगी जो गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से निर्धारित की जायगी ।" ;

(ii) नियम 24 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"24-क. **नियम शिथिल करने की शक्ति** :—जहां कि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह ऐसे कारणों से, जो लेखन द्वारा अभिलिखित किये जाएंगे तथा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों अथवा पदों के किसी भी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।"

[सं 8/40/69-के०से०-II]

*New Delhi, the 18th July 1970*

**G.S.R. 1087.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Stenographers Service (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969,—

(i) The proviso to sub-rule (1) of rule 12 shall be omitted;

(ii) in clause (i) under the heading "II-Grade II" in sub-rule (5) of rule 19, the second sentence beginning with the words "Direct Recruits appointed" and ending with the words "a later examination' shall be omitted.

(iii) to sub-para (1) of para 3 of the Fifth Schedule, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the seniority of persons recruited through the competitive examinations held by the Commission in whose cases offers of appointment are revived after being cancelled shall be such as may be determined by the Central Government in the Ministry of Home Affairs in Consultation with the Commission".

[No. 8/40/69-CS.II.]

P. L. GUPTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1970

**सा० का० नि० 1087** :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में उन्हें समर्थ करने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम 1969 में और अधिक संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 में,

(i) नियम 12 के उपनियम (1) का परन्तुक लुप्त कर दिया जायगा ;

(ii) नियम 19 के उपनियम (5) में शीर्ष "2—श्रेणी—2" के अन्तर्गत खण्ड (i) में, "किसी कार्डर में अभिस्थायी रिक्तियों में" शब्दों से आरम्भ होने वाला तथा "रैंक में ज्येष्ठ होंगे" शब्दों के साथ समाप्त होने वाला दूसरा वाक्य लुप्त किया जाएगा ।

(iii) पांचवी अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (1) के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात :—

"परन्तु आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किये गये उन व्यक्तियों की ज्येष्ठता, जिनके मामलों में नियुक्त प्रस्ताव रद्द किये जाने

के बाद पुन: प्रचलित किये जायें, वही होगी जो गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से निर्धारित की जाएगी ।"

[सं० 8/40/69–के०से० II]

पी० एल० गुप्ता, उप सचिव ।

## ORDERS

*New Delhi, the 11th July* 1970

**G.S.R. 1088.**—In pursuance of clause (22) of article 366 of the Constitution of India, the President is hereby pleased to recognise Maharaja Bharat Chandra Bhanj Deo Kakatiya as the Ruler of Bastar with effect from 12th April 1970 in succession to late Maharaja Vijay Chandra Bhanj Deo Kakatiya.

[No. F. 5/7/70-Poll-III.]

## आदेश

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1970

**जी० एस० आर० 1088**:–भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा (22) के अनुसार राष्ट्रपति जी इस आदेश के द्वारा महाराजा भरत चन्द्र भंजदेव काकतिय को 12 अप्रेल, 1970 से स्वर्गीय महाराजा विजय चन्द्र भंजदेव काकतिय के स्थान पर बस्तर के शासक के रूप में सहर्ष मान्यता प्रदान करते हैं ।

[संख्या 5/7/70–पोलिटिकल–3]

*New Delhi, the 12th July* 1970

**G.S.R. 1089.**—In pursuance of clause (22) of article 366 of the Constitution of India, the President is hereby pleased to recognise Lt. Col. His Highness Raj Rajindra Sri Maharajadhiraja Sawai Bhawani Singhji Bahadur as the Ruler of Jaipur with effect from 24th June 1970 in succession to late Lt. General His Highness Raj Rajindra Sri Maharajadhiraja Sawai Sir Man Singhji Bahadur.

[No. F. 10/9/70-Poll-III.]

L. P. SINGH, Secy.

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1970

**सा० का० नि० 1089** :–भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा (22) के अनुसार राष्ट्रपति जी इस आदेश के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल महामान्य राज राजेन्द्र श्री महाराजाधिराज सवाई भवानीसिंह जी बहादुर को 24 जून, 1970 से स्वर्गीय लफ्टिनेंट जनरल महामान्य राज राजेन्द्र श्री महाराजाधिराज सवाई सर मानसिंह जी बहादुर के स्थान पर जयपुर के शासक रूप में सहर्ष मान्यता प्रदान करते हैं ।

[संख्या 10/9/70–पोलिटिकल–3]

ल० प्र० सिंह, सचिव

## PLANNING COMMISSION

*New Delhi, the 29th May 1970*

**G.S.R. 1090.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of rercuitment to the post of Chief Librarian in the Planning Commission, namely:—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Planning Commission (Chief Librarian) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Application.**—These rules shall apply to the post as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed in column 7 of the said Schedule for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualifications.**—(a) No person, who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to the said post; and

(b) No woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage, or who has married a person, who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons/or the post.

THE SCHE

*Recruitment Rules for the Post of Chief*

| Sl. No. | Name of the post | Number of posts | Classification | Scale of pay | Whether a selection post or not | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Chief Librarian | One | General Central Service Class I | Rs. 820—40—1100 50/2—1150. | Not applicable | Not exceeding 40 years (Relaxable for Government Servants) | *Essential*<br>(*i*) Master's degree of a recognised University in any of the Social Sciences.<br>(*ii*) Degree in Library Science of a recognised University or Institute.<br>(*iii*) About 8 years experience in a responsible capacity in a Library of standing.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified).<br>*Desirable*<br>Post- graduate degree in Library Science |

DULE

*Librarian in the Planning Commission*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of Probation | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made. | If a D.P. C. exists, what is its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable | Two years. | Direct Recruitment | Not applicable. | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. F. 4(14)/69-Adm.I.]

## योजना आयोग

नई दिल्ली, 29 मई, 1970

**जी० एस० आर० 1090**.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति योजना आयोग में मुख्य पुस्तकाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) ये नियम योजना आयोग (मुख्य पुस्तकाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. **लागू होना**.—ये नियम इससे उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इससे उपबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 से लेकर 5 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से लेकर 14 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष व्यक्ति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, सीधी भर्ती के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ 7 में विहित उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार, शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निर्हताएं**.— (क) वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जिवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जीवन काल में होता है ।

(ख) वह स्त्री उक्त पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उस के पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट देने योग्य विशेष आधार हैं, आदेश दे सकेगी, कि उसे छूट दी जाए ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** .—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग या पद के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी ।

## अनुसूची

योजना आयोग में मुख्य पुस्तकाध्यक्ष पद के लिये भर्ती नियम

| क्रम संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद अथवा नहीं | सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मुख्य पुस्तकाध्यक्ष | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग | 820–40–1100–50/2–1150 रू० | लागू नहीं होता | 40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) |

| अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की कालावधि | भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/अन्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| **आवश्यक :**<br>(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की किसी भी सामाजिक विज्ञान में, मास्टर की डिग्री ।<br>(2) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्था की पुस्त-कालय विज्ञान में डिग्री ।<br>(3) ख्यातिप्राप्त पुस्तकालय में उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत में लगभग 8 वर्ष का अनुभव । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है )<br>**वांछनीय :**<br>पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री । | लागू नहीं होता। | दो वर्ष | सीधी भर्ती |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन- से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण किया जाना है । | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है । | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है । |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| लागू नहीं होना | लागू नही होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित । |

[सं० फा० 4(14)/69-प्रशा० I.]

*New Delhi, the 3rd June 1970*

**G.S.R. 1091.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Planning Commission (Director, Power) Recruitment Rules, 1965, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, Power in the Planning Commission, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Planning Commission (Director, Power) Recruitment Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—(a) No person, who has more than one wife living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to the post; and

(b) No woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage, or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to the post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons/ the post.

THE SCHE

*Recruitment Rules for the Post of Director*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or Non-Selection Post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Director (Power) | One | General Central Service Class I (Gazetted). | Rs. 1300—60—1600—100—1800. | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable. |

RULE

(*Power*) *in the Planning Commission*

| Period of Probation | Method of Recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a D.P.C. exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 years | By transfer on deputation (including contract) or promotion, the selection being made in consultation with the Union Public Service Commission. | Transfer on deputation (including contract) or *promotion*. Officers from the Central Government/State Governments/Public Undertakings/State Electricity Boards of the rank of (*i*) Superintending Engineer, or (*ii*) Executive Engineer with 7 year's service in the grade, and having adequate design/planning and field experience; Joint Directors/Assitant Chiefs of the Planning Commission who hold the posts on a regular basis in the Power Division and have put in at least 5 years' total service in the two grades combined together, will also be considered. If a Joint Director/Assistant Chief is selected for appointment to the post, it will be treated as having been filled by promotion. (Period of deputation/contract—ordinarily not exceeding 3 years). | Class I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, read with the provisions under column 10. |

[No. F. 23(3)/69-Adm.I.]

D. DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जून, 1970

सा० का० नि० 1091 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (निदेशक, शक्ति) भर्ती नियम, 1965 को अधिक्रान्त करते हुए राष्ट्रपति, योजना आयोग में निदेशक, शक्ति के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम, बनाते हैं : अर्थात:—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) ये नियम योजना आयोग (निदेशक, शक्ति) भर्ती नियम, 1969 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रशासन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे।

2 **लागू होना**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3 **वर्गीकरण और वेतनमान**.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4 **भर्ती की पद्धति आयु सीमा और अन्य अर्हताएं**.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :—

5. **निरर्हताएं**: (क) वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जीवन काल में होता है; और

(ख) वह स्त्री उक्त पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि इस नियम के प्रवर्तन से छूट देने योग्य विशेष आधार हैं तो वह आदेश दे सकेगी, कि उसे छूट दी जाए।

**6 शिथिल करने की शक्ति**——जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

| क्या पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मान | प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं | क्या सीधी वालों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लाग होंगी । | परिवीक्षा की कला विहितवधि यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| निदेशक (शक्ति) | एक | साधारण केन्द्रीय, वर्ग सेवा-1 राजपत्रित | 1300-60-1690-100 1800 रु० | प्रवरण | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती होगी या प्रो० द्वारा या प्रतिनियुक्ति अन्तरण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/अन्त-रण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाना है | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है। | वे परि स्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण/ द्वारा (इसमें संविदा भी सम्मिलित हैं) या प्रोन्नति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन करके। | प्रतिनियुक्त पर अन्तरण (इसमें संविदा भी सम्मिलित है।) या प्रोन्नति/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों लोक उपक्रमों राज्य विद्युत् बोर्डों के (1) अधीक्षक इंजीनियर या (2) कार्यकारी इंजीनियर रैंक के अधिकारी जिनकी श्रेणी में 7 वर्ष की सेवा हो और जिन्हें डिजाइन/प्लानिंग और फील्ड का पर्याप्त अनुभव हो; योजना आयोग के उन संयक्त निदेशकों/ सहायक प्रधानों को भी विधारित किया जाएगा जो नियमित आधार पर शक्ति प्रभाग में पद धारण किये हुए हों और जिन्होंने दोनों श्रेणियों में कुल मिला कर न्यूनतम 5 वर्ष सेवा की हो। यदि कोई संयुक्त निदेशक/सहायक प्रधान इस पद परद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा (प्रतिनियुक्ति/ संविदा की कालावधि सामान्यतः 3 वर्ष से अनधिक होगी) | वर्ग विभागीय प्रोन्नति समिति | जैसा कि स्तम्भ 10 के अन्तर्गत उपबन्ध के साथ गठित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है। | | |

[सं० फा० 23(3)/69-प्रशा]
डी० दास, अवर सचिव।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

*New Delhi, the 25th July 1970*

**G.S.R. 1092.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 47th Amendment Rules, 1970.

2. In the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960:—

(a) in the First Schedule, after Serial No. 122 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"123. Polystrene Film Capacitors Rs. 32.70 per kg".

(b) In the Second Schedule, for Serial No. 116 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"116. Capacitors all types excepting Polystrene Film Capacitors".

[No. 54/F.No.116/1/69-DBK.]

---

## वित्त मंत्रालय

### (राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 25 जुलाई 1970

**सा० का० नि० 1092.**—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

(1) ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शल्क निर्यात वापसी (साधारण) 47वां संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में

(क) प्रथम अनुसूची में, क्रम सं० 122 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"123 पोलिस्ट्रीन फिल्म संचारित्र 32.70 रु० प्रति किलोग्राम;"

(ख) द्वितीय अनसूची में, क्रम सं० 116 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

" 116. पोलिस्ट्रोन फिल्म संचारित्रों को छोड़ कर सभी प्रकार के संचारित्र "

[सं० 54/एफ० सं० 116/1/69—डी०बी०के०]

**G.S.R. 1093.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 48th Amendment Rules, 1970.

2. In the First Schedule to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, for Serial No. 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"17. Chrome Leather Washers, All sorts. | Rs. 819.00 per tonne"

[No. 55/F.No. 600/24/70-DBK.]

**स० का० नि० 1093.**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 48 वां संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में, क्रम सं० 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रति-स्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"17 सभी प्रकार के क्रोम चमड़े के वाशर | 819.00 रु० प्रति टन ।"

[सं० 55/एफ० सं० 600/24/70-डी०बी०के०]

**G.S.R. 1094.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 49th Amendment Rules, 1970.

2. In the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960:—

(a) in the First Schedule, after Serial No. 123 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"124. Glass fibre reinforced polyesters and manufactures including helmets. | 45 per cent of the F.O.B. value."

(b) in the Second Schedule, Serial No. 163 and the entry relating thereto shall be omitted.

[No. 56/F.No.163/1/69-DBK.]

V. R. SONALKAR, Dy. Secy.

सा० का० नि० 1094.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) विनियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

(1) ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन्शुल्क निर्यात वापसी (साधारण 49 वां संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में—

(क) प्रथम अनुसूची में, क्रम सं० 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"124 कांच तंतु प्रबलित पालिएस्टर और पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 4.5%" विनिर्मितियां जिन में हैल्मेट सम्मिलित हैं

(ख) द्वितीय अनसूची में, क्रम सं० 163 और उससे संबंधित प्रविष्टि लुप्त कर दी जाऐगी ।

[सं० 56/एफ० सं० 163/1/69-डी०बी०के०]

वि० रा० सोनालकर, उप सचिव ।

---

**(Department of Revenue and** Insurance)

CUSTOMS

*New Delhi, the 25th July* 1970

**G.S.R. 1095.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts brass-silver and copper-silver profiles, falling under Item No. 61(4) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India for the manufacture of components of starters and switchgears, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 60 per cent *ad valorem.*

[No. 69/F.No.5/8/69-Cus.I]

J. DATTA, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1970

सा० का० नि० 1095.—सीमा शल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934

(1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 61(4) के अन्तर्गत आने वाली पीतल-चांदी और ताम्बा-चांदी प्रोफाइल्स को, उनके स्टार्टरों और स्विच गियरों के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किए जाने पर, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, के उतने भाग से जो 60 प्रतिशत मूल्यानुसार में अधिक्य में है, एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० 69/फा० सं० 5/8/69-सी० शु० 1]
जे० दत्त, उप सचिव ।

---

**(Department of Revenue and Insurance)**

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 25th July 1970*

**G.S.R. 1096.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 161/66 Central Excises, dated the 8th October, 1966, namely:—

In the said notification,—

(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) the value arrived at after allowing a discount of 10 per cent on the price specified in the price list referred to in paragraph 8 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970, issued under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), showing the prices at which the medicines are sold to a retailer (hereinafter referred to as the wholesale prices), or";

(b) in the first proviso, for the words "retail dealers", the word "retailers" shall be substituted.

[No. 147/70.]
K. L. REKHI, Under Secy.

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1970

सा० का० नि० **1096.**—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 161/66—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 अक्तूबर, 1966 में एतद्द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में—

(क) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(i) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अन्तर्गत जारी किए गए औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1970

के पैरा 8 में निर्दिष्ट कीमत सूची में जिसमें वे कीमतें दर्शित हैं जिन पर फुटकर विक्रेता (इसमें इसके पश्चात् थोक कीमतों के रूप में निर्दिष्ट) को दवाइयां बेची जाती है, विनिर्दिष्ट कीमत पर 10 प्रतिशत छूट देने के बाद निकाला गया मूल्य या"

(ख) प्रथम परन्तुक में "फूटकर व्यवहारियों" शब्द के स्थान पर 'फुटकर विक्रेताओं' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ?

[सं० 147/70]

के० एल० रेखी, अवर सचिव ।

---

**(Department of Revenue and Insurance)**

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 25th July, 1970*

**G.S.R. 1097.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 68 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of Section 3 of the Mineral Prdoucts (Additional Duties of Excises and Customs) Act, 1958 (27 of 1958) the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 276/67 Central Excises dated the 21st December, 1967, namely:—

In the said notification, in the proviso appearing at the end, for the letters and figures "Rs. 37.10", the letters and figures 'Rs. 98.50" shall be substituted.

[No. 148/70.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

---

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1970

**सा० का० नि० 1097.**—खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद् शुल्क और सीमा शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 276/67-केन्द्रीय उत्पाद शल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1967, में एतद्द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अन्त में आने वाले परन्तुक में "37.10 रु०" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "98.50 रु०" अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 148/70]

पी० आर० कृष्णन, अवर सचिव ।

---

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970